>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011(Discussion Concluded and Bill Passed).

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> "कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसके निगमन का उपबंध करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

महोदय, भारत विश्व में सबसे युवा देश है। 120 करोड़ की आबादी में 55 करोड़ भारतीय 13 से 35 वर्ष के हैं। आज विश्व भर में भारत के सुनहरे भविष्य का कारण यही युवा भारतीय हैं। भारत जनसंख्या के लाभांश को प्राप्त करने की प्रबल संभावना वाला देश है। विश्व के अर्थशास्त्री, जनसंख्या विशेषज्ञ भारत की जनसंख्या में अधिसंख्य युवाओं के होने वाले लाभांश की महत्ता को अब समझ रहे हैं। परंतु भारत के ही एक ऐसे सपूत, एक ऐसे द्रष्टा थे, जिन्होंने इसके महत्व को तीन दशक पूर्व ही समझ लिया था और इस वर्ग को मानव संसाधन "ह्यूमन रिसोर्स " की संज्ञा दी और इसके विकास के लिए, इसके संवर्द्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1985 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कर डाला। शायद भारत के यह द्रष्टा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री सशक्त भारत के युवाओं को 21वीं शताब्दी में ले जाने का सुखद सपना दिखाने वाले श्री राजीव गांधी अपने कर्म एवं सोच से अपने समय से कहीं आगे थे। उन्हें भारतीय युवाओं पर अपार विश्वास था। पांच वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में, 1988 की प्रथम युवा नीति, मतदाता उम्र सीमा इक्कीस वर्ष से घटा कर अठारह वर्ष करना, नयी शिक्षा नीति, पंचायती राज की परिकल्पना में युवाओं की जगह सुनिश्चित करना, अपने आपमें अनेकों दूरगामी प्रभाव वाले कार्यों में कुछ ही है। दुर्भाग्यवश, आज ही के दिन इक्कीस वर्ष पूर्व, 21 मई को यह दृष्टा, युवाओं के सुनहरे सपनों की परिकल्पना करते-करते देश के सुदूर दक्षिण श्रीपेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में चिर निद्रा में सो गए।

इसी स्थान पर जहां उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी, उसी भूमि पर उनके सपनों को साकार करने हेतु इस विधेयक के द्वारा 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान' को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित कर इसके निगमन का उपबंध करने के प्रस्ताव पर समर्थन के लिए मैं निवेदन करने खड़ा हुआ हूं।

अभी इस संस्थान में पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रम चल रहे हैं तथा बारह छात्र, युवा मामलों से संबंधित शोध में संलग्न हैं। संस्थान अब तक बाइस शोध प्रपत्र जारी कर चुका है। परन्तु, यह महसूस किया गया कि इतने विशाल देश की विशाल युवा शक्ति के कौशल का संवर्द्धन करने के लिए एक थिंक टैंक/िंचतक समूह विकसित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से राष्ट्र को संवेदनशील एवं शोधजनित युवा नीति एवं कार्यक्रम प्रदान किया जा सके।

भारत में 39 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त है जिनमें 35 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तीन चिकित्सा क्षेत्र में और एक भाषा के क्षेत्र में है। जाहिर है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन "भारतीय युवा " के विकास के क्षेत्र में एक भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं है।

इस दिशा में 28 मार्च, 2011 को एक मेंटॉर ग्रुप की स्थापना की गयी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं से संबंधित कार्य कर चुके प्रबुद्ध विशेषज्ञों को रखा गया। एक वर्ष पूर्व, मई 2011 में प्रस्तुत मेंटॉर ग्रुप की रिपोर्ट में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान' के कार्यक्रमों को भारत के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के अनुरूप विस्तृत किया गया। साथ ही, इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी घोषित करने की सिफारिश की गयी है।

मेंटॉर ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक के क्लॉज 6 में उद्देश्य तथा क्लॉज 7 में संस्थान के कृत्य वर्णित हैं। मेंटॉर ग्रुप ने नए प्रारूपों में चार डिवीजन्स, नौ सेंटर्स, एवं आठ विभागों की परिकल्पना की है। ये विभाग हैं -

1. Department of Youth Development;
2. Department for Socially and Economically Disadvantaged Youth Development;
3. Department of Tribal and North East Youth Development;
4. Department of Livelihood Development;
5. Department for Differently-Abled Youth Development;
6. Department of Training and Orientation;
7. Department of Documentation and Publications; and
8. Bureau of Youth Statistics and Analysis

नए प्रारूप में "युवा विकास " में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (M.A. in Youth Development) इस संस्थान का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। 200 स्नातकोत्तर, 200 डिप्लोमा एवं 50 शोध छात्रों को शिक्षित करने की परिकल्पना की गयी है।

हमें विश्वास है कि यह संस्थान केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए युवा उन्मुख नीति व कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त उनके मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा।

मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस विधेयक का समर्थन करते हुए सात क्लॉजेज़ में परिवर्तन करने को कहा है। हमने लगभग सभी सिफारिशों को मान कर संशोधन भी मूव कर दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को इस सदन के सामने रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसके निगमन का उपबंध करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं आज अपनी तरफ से और इस सदन के सभी सदस्यों की तरफ से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

आज मंत्री जी राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012 को लेकर सदन में आए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसका अवश्य जवाब देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा शक्ति देश की रीढ़ होती है। 55 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। 121 करोड़ की आबादी में यह बहुत महत्व रखता है। युवाओं का योगदान अगर हम स्वतंत्रता के पूर्व ले लें, जब हम गुलामी के समय से गुजर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे क्रान्तिकारी नौजवान थे, सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल साहब, ये सभी लोग युवा क्रान्तिकारी थे और देश की उस समय जो लड़ाई हमारी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी, इनसे प्रेरणा लेकर हमारे करोड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें आजादी मिली। उससे पहले स्वामी विवेकानन्द जी को हम एक आदर्श के रूप में मानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के अन्दर एक प्रेरणा भरी, उनकी किताबें पढ़ते हैं तो रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। यह हालांकि अलग बात है कि उसकी प्रेरणा को लेकर आज बहुत लोग दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं और उन प्रेरणाओं को नहीं लेकर चलते हैं।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने विज़न 2020 बनाया था, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए यह नहीं लगता कि उन्होंने जिस विज़न के बारे में बात की थी, वह विज़न साकार हो सकेगा। India is not poor, but Indians are poor. भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, नैचुरल रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास अनेकों ऐसी चीजें हैं, जिनका कि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनका गलत तरीके से उपयोग करना नेशनल रिसोर्सेज़ को खराब करना, उसकी कालाबाजारी होना, ये सभी कारण हैं, जो हमारे उस विज़न 2020 में बहुत बड़े बाधक बनकर आये।

हमने अपने युवाओं को देखा है, बहुत सारे हमारे अच्छे नौजवान यहां से पढ़-लिख कर, शिक्षा पाकर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि, वहां पर उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। Mr. Minister, Brain drain in our country is a big problem. हम यह जो यूथ पॉलिसी लेकर आये हैं, क्या हम इससे उनको प्रेरित कर पाएंगे, इस प्रकार का हम उनको कोई आश्वासन दे सकेंगे, जो हमारे नौजवान विदेशों में चले जा रहे हैं कि उनका जाना रोक सकें। उनको अच्छी सैलरी मिलती हैं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लोग बाहर अवश्य जाएंगे, लेकिन क्या हम अपने देश में इस प्रकार का काम, इस प्रकार की सैलरीज़ नहीं दे सकते कि हमारे देश का जो ब्रेन बाहर जा रहा है, एक से एक बढ़कर आई.टी. के इंजीनियर्स हैं, कम्प्यूटर के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब की मांग विदेशों में बहुत है। वे हमारे देश में काम न करके विदेशों में जा रहे हैं। इन इंजीनियरों को रोकने के लिए कि वे अपने देश में कार्य करें, मंत्री जी, आपके माध्यम से उनको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है, यह मैं जानना चाहता हूं?

आज हम महिला सशक्तीकरण की बात अगर देखें तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारी दो भारतीय महिलाएं, जिनमें से एक स्वर्गीय कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स नासा में जाकर कन्धे से कन्धा मिलाकर उन अमेरिकन एस्ट्रॉनॉट्स के साथ बैठकर अंतरिक्ष में गई थीं। ये लोग हैं, यदि हमारे पास उपाय हों, साधन हों, जगह हो तो हम अपने ऐसे देश के होनहार बच्चों को यहां पर रोक कर उनका उपयोग कर सकते हैं। आज आप यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल में ऐसी अनेक खामियां मुझे दिखती हैं, लेकिन मैं इसके विरोध में नहीं हूं, आपने मेंटोर कमेटी बनाई थी, सरकार ने ही बनाई थी, स्टेंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन ऐसी काफी चीजें हैं, जो इसमें आपने नहीं ली हैं, जो वृहद रूप में, जो एक बड़ा रूप इस बिल में होना चाहिए था, वे दिखाई नहीं देतीं। बहुत संक्षेप में जगह-जगह पर आपने लिख कर हमारे सामने दिया हुआ है।

आप यह भी जानते हैं कि युवा अगर दिग्भ्रमित हो जाए तो समस्यायें भी बहुत होती हैं। जब हम इन बड़े-बड़े लोगों के नाम की बात करते हैं जिनको हमने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद आदर्श माना है, लेकिन हालिया स्थिति अगर हम देखें, हमारे एक साथी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी राज्य सभा में मनोनीत किए गए, क्योंकि लोग उनको एक आदर्श मानते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर जिस खेल को खेलते हैं, लोग उसको देखते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं और समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जिस खेल को अपने देश में धर्म की तरह माना जाता है, जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, जो नौजवान हैं, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, इस तरह की घटनाएं जो पिछले एक सप्ताह या दस दिन से हम देख रहे हैं, उससे हमारे नौजवानों के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रेव पार्टीज होती हैं, अलग-अलग घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उससे आगे हमारे नौजवानों की, हमारी आगे आने वाली जो पौध है, फसल है, इसका क्या होगा? इसकी रोकथाम के लिए हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं? वह चरित्र निर्माण, क्या यह सब अश्लील चीजों को देखकर, एक खेल के मैदान में अनुशासनहीनता को देखकर, इसका प्रभाव हमारे नौजवानों पर किस प्रकार से पड़ रहा है? यह एक गंभीर मामला है, आप युवाओं के ही नहीं, युवा मामलों के ही नहीं, आप खेल के भी मंत्री हैं। युवाओं के लिए खेल, कला, आर्ट, कल्चर ये सब ऐसी चीजें हैं, जो उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकती हैं, लेकिन खेलों में ही इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब वे जवाब दे रहे होंगे तो इस विषय पर वे अपनी टिप्पणी अवश्य करें।

आदरणीय टैगोर जी ने कहा था, "Age considers; youth ventures." An idle mind is the devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके माध्यम से हमारे देश में आपने संख्या बतायी कि 55 करोड़ लोग 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, क्या इन सबको हम इस बिल के माध्यम से सपोर्ट कर पायेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह संख्या बहुत ज्यादा है? यह संख्या कोई हजार, दो हजार, पांच हजार, एक लाख या दस लाख की नहीं है, आपने

जितनी जगह बतायी है, उसमें मेरे ख्याल से पांच से दस हजार बच्चों के ऊपर इसका फायदा होगा। आपने अपने बिल में भी यह कहा है कि जगह-जगह पर हम जमीन लेंगे, जो डोनर्स हैं, वे देना चाहें, तो वे दे सकते हैं, टेस्टेटर्स देना चाहें, वे दें, लेकिन आजकल तो लोग जमीनें दूसरे कार्यों के लिए नहीं दे रहे हैं। खादी भंडार की जो जमीनें थीं, खादी भवन की जो जमीनें थीं, उसे लोग वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनको उसका उचित किराया नहीं मिल रहा है या फिर इन संगठनों से वापस ले लिया गया है। हम आगे किस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि वे हमें इसके ऊपर जमीन दें। आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इतने बड़े-बड़े करोड़ों रूपए के स्टेडियम्स बनें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्या-क्या घोटाला हुआ, लेकिन वे सारे स्टेडियम्स बेकार पड़े हैं, खराब हो गए हैं। तालकटोरा स्टेडियम में खेल के कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। ...(व्यवधान) यह मुझे नहीं मालूम था कि निर्मल बाबा भी वहां गए थे। मंत्री जी, मैं आपकी भावना, आपके स्टेटमेंट्स देखता रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपकी सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मंत्री जी क्या कहूं, आपके पास ताकत ही नहीं है कि आप कुछ डिलेवर कर सकें। आप बाउंडेड लेबर की तरह हैं, एक मंत्री बाउंडेड लेबर हैं। ...(व्यवधान) वह जानते हैं कि मैं किस मामले को लेकर कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप बड़े अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

महोदय, अब मैं इस बिल पर आता हूं। मेंटर ग्रुप की तरफ से रिकमंडेशंस हुयीं, जिसे सरकार ने बनाया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी उनका समर्थन किया था। उसके पहले एक टंडन कमेटी थी। टंडन कमेटी ने आपकी संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी में से निकाल कर कहा था कि सब कुछ गड़बड़ है। ...(व्यवधान) मेन्टर कमेटी आई। मेन्टर कमेटी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरित थे। एक लुकींग लंदन था तो दूसरा टॉकींग टोकियो था। इस प्रकार के विचार इसके अंदर आए। इसमें कलाजेज 6 एवं 7 पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो मेन्टर ग्रूप ने अपने रिकमेन्डेशन में और स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेण्डेशन में, आप पेज 3 पर जाएंगे तो क्लाउज 6 **:**

"The objects of the Institute shall be, --

(a) to evolve and achieve an integrated approach to youth development;
(b) to establish a National Youth Resource Centre;
(c) to provide for research and development and dissemination of knowledge through extension and outreach programmes;
(d) to act as a nodal agency for capacity building of stakeholders including youth bodies, organizations and agencies relating to youth"

इस प्रकार से आपने छः प्वाइंट्स ले लिए हैं। आपको जो रिकेमेंड किए गए थे जो यहां पर है उसका मैंने शॉर्ट किया है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इस्टिट्यूट्स, मेन्टर ग्रूप आपके ग्यारह लोगों की समिति बनाई गई थी उसमें इसको बड़ी एक्सटेन्सिवली, कंप्रीहेन्सिवली इस चीज का बयान किया है। यदि मैं एक-एक लाइन को देखूं तो इस बिल को पास करवाने के माध्यम से इसमें हम जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं वह उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं होता है।

श्री अजय माकन : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह कहा कि मेन्टर ग्रूप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे as it is लेना चाहिए। हमने संशोधन कर दिया है। हमने जो संशोधन मूव किया है अगर आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल वही किया गया है जो ऑब्जेक्टिव 6(a) में कहा गया है हमने उसको चेंज कर दिया है और संशोधन के अंदर हम लोगों ने डिटेल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। मेन्टर ग्रूप और स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा उसे हम लोगों ने as it is इम्पलिमेंट कर दिया है। आपने जो संशोधन कहा है वह हम लोगों ने मूव कर दिया है।

श्री कीर्ति आज़ाद : मंत्री जी, धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि मेन्टर ग्रूप ने क्लाउज 6 में ए, बी, सी, डी इन चारों के लिए कहा था यदि ए अपूव कर दिया है तो मैं बी, सी, और डी की बात कर सकता हूं।

श्री अजय माकन : मैं समझता हूं कि एक बार आप संशोधन देख लें फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप एक बार संशोधन देख लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोगों ने संशोधन बड़ा विस्तार से दिया है। हम लोगों ने इसे सेक्रेटेरियट को दिया है। आपके पास जरूर सर्कुलेट हुआ होगा। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ए, बी, सी और डी सभी संशोधन कर दिए गए है तो आपके माध्यम से इन्हें धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : इन्होंने जो इक्जेक्यूटिव काउंसिल बनाई है। इन्होंने उसका कंपोजिशन दिया है। यह खुशी की बात है। इन्होंने जो एकेडमिक कमेटी की बात की है उसका रोल तो डिफाइन किया है लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है।

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इसका भी संशोधन हमने मूव कर दिया है। ...(व्यवधान) डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा था कि मेन्टर ग्रूप की रिपोर्ट के अन्दर एकेडमिक काउंसिल की और फाइनेन्स कमेटी की इन दोनों की कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में कहा गया था। हम लोगों ने जो पहले विधेयक मूव किया था उसमें हमने कहा था कि स्टैचूट के द्वारा यह डिफाइन किया जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने कमेटी की रिपोर्ट और मेन्टर ग्रूप की रिपोर्ट को मान कर संशोधन मूव किया है। हम लोगों ने 18 सदस्यीय एकेडमिक काउंसिल और 7 सदस्यीय फाइनैन्स कमेटी इन दोनों की व्यवस्था बिल में कर दी है। हमने इसका अमेंडमेंट मूव कर दिया है। â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : यदि यह सर्कुलेट कर दिया गया होता, ...(व्यवधान) अमैंडमैंट सर्कुलेटेड है, अमैंडेड बिल सर्कुलेटेड नहीं है। यह यहां आकर अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, वह मैंने सब कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो-जो मैं इनसे कह रहा हूं, वह यह मान रहे हैं कि इन्होंने किया है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी को शाबाशी देता हूं कि इन्होंने किया। फिर यह भी तय ही होगा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने आपकी काफी बात मान ली है, इसलिए अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : अभी मैंने शुरू ही किया है।...(व्यवधान) यह काफी महत्वपूर्ण बिल था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शुरू नहीं है, बहुत समय हो गया है।

â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : फिर आपने रिप्रैजैंटेशन ऑफ वूमैन, एससी एंड एसटी, फिजिकली डिसएबल्ड, रीजनल आदि जो डैफीशिएंसी बिल में थीं, वे भी डाल दी होंगी। वैरी गुड। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, लगता है कि मंत्री जी और सांसद महोदय के बीच कोई टैलिपैथी का रिश्ता है।...(व्यवधान) जो उनके मन में है, वह उन्होंने अलग से जान लिया और जो वे चाहते थे, वह उन्होंने कर भी दिया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये एक मुश्त बोल दें कि समर्थन करते हैं और बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनके बोलते ही वे कहते हैं कि मैं यह करके लाया हूं, तो अंदरखाने मंत्री जी और सांसद का कोई टैलिपैथी का रिश्ता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस की बात मत खोलें। वे बोल दें कि समर्थन करते हैं और बैठ जाएं।

â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : अगर सरकार और विपक्ष इसी प्रकार से काम करते रहें, हमने खेल पर जो आपत्तियां उठाई, इसी तरह करते रहें तो हंसी-मजाक में सब काम अच्छा होता जाएगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लक्षण अच्छा है, आगे ऐसा ही होगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रहा था। मैंने यहां जो देखा और वह आवश्यक भी था। सारी चीजें इनकॉरपोरेट कीं, अगर ये वाली न की होती तो मुझे बहुत आपत्ति होती। बिल के माध्यम से पार्लियामैंट में जितने भी इंस्टीट्यूशन्स सैट-अप किए जाते हैं, हमने देखा था कि उनके एकाउंट्स यहां सबमिट किए जाते हैं। ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं था। लेकिन मुझे खुशी है...(व्यवधान) I am not yielding. मैं आगे आपकी बात कह देता हूं। अगर इसके एकाउंट्स यहां नहीं रखे जाते, क्योंकि एक अखबार जो दक्षिण से चलता है, उसमें इसी इंस्टीट्यूट के बारे में 20 करोड़ रुपये की धांधली का मामला आया था। मुझे आज प्रसन्नता है कि आप ऑथैंटिसिटी बढ़ाने के लिए इस बिल को पार्लियामैंट में पेश करेंगे, उसके एकाउंट्स को पेश करेंगे और वह पार्लियामैंट से पास होगा। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूं।

आप यह बिल लेकर आए हैं। आपने मेरे भाषण को बहुत छोटा करवा दिया। मैं अपनी ओर से इसका समर्थन करता हूं। जो संशय थे, वे वैसे ही खत्म हो गए। बाकी सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे।

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Mr. Deputy-Speaker, Sir I would like to thank you for giving me this opportunity to participate on the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011. I am also very grateful and privileged to our President, Shrimati Sonia Gandhi, and our Chief Whip, Shrimati Girija Vyas, for giving me a chance to express my views on this very important Bill which depicts the future of the youths of this great nation.

Sir, it is a very sad but auspicious day for all of us that on this day itself our beloved Leader became a martyr, the one and only great *Bharat Ratna* Shri Rajiv Gandhiji. But before speaking on this Bill, I would like to give a small glimpse of what his contributions were there to us, to the youth and to the future of India, also especially to my own areas also, the North East.

I would just like to mention that our beloved leader had always thought and he always knew that the youth is the backbone of our country in all sense – let it be in the way of development, in the way of information technology or in the mobile sector and in the interactions with the foreign nations. So, the vision that he had for the country is one which all of us can never forget even in the future. He wanted and had a dream of India being self-reliant, self-dependent, wanted to have international relations with all the countries.

Born on 20th August, 1944 to Shri Feroze Gandhi and Madam Indira Gandhi, doing his education in the Doon School, in Cambridge and then in London, he joined as an apprentice pilot in the Indian Airlines. But because of the sudden demise

of his late mother, he had to join politics. In fact, he took the reins of administration on 31st August, 1984. After that, he came back with a thumping majority showing that the youth were behind him, having won 401 seats where only 500 seats were contested by the Congress Party. That itself showed the faith of the people of this country reposed on him.

In fact, Shri Rajiv Gandhi was convinced that the future of India lies in the technological modernisation, maintenance of agriculture. He introduced, in fact, the Technology Mission during that period. In fact, his cherished dream was to take India into the 21st Century free of poverty and exploitation. His ambition for diversified rules in computers and also decentralisation of the Panchayati Raj are some very important factors where we can remember him by being the fighting force behind the Indian system of administration.

In fact, Shri Rajiv Gandhi had confidence on the youth. That is why, he gave empowerment to the youth by making the age of voting right from 21 years to 18 years. We have always witnessed his management of foreign relations in the SAARC, NAM Summit. In fact, his participation in the apartheid movement, taking part to establish the African Fund itself showed that he had the love and affection for all the people – not only for the people of this country but also for the people of the world itself.

Here, I would like to give a small reference to the North-East where some very important Accords were there. He gave us the Indira Gandhi Research Institute of Medical Sciences in Shillong, the very famous Mizoram Peace Accord where the MNF leader Shri Laldenga was brought into the mainstream. That is the reason why the hon. Member from Mizoram Shri C.L. Ruala is here. We have the everlasting peace in Mizoram, especially in a very vital State which is just bordering Bangladesh and Myanmar.

Also, the Assam Accord with AASU gave a lot of developments for taking up the Numaligarh Refinery Limited. Then, there is the Gas Cracker Plant which is just coming up. Then, there is the University of Silchar and Tezpur. But I would also like to mention about his way of working even as the Prime Minister when there was a huge flood in Assam, how he travelled from Dibrugarh to Guwahati by road. He travelled with the beloved leader, our President, Madame, Shrimati Sonia Gandhi. This distance is about six hours by road. But he really wanted to see the practical things, the difficulty the people face in the North-East. That love and affection, we can never forget in the North–East.

Coming back to the Bill, I would like to inform the House that like our very renowned and experienced speaker, who himself is a cricketer, stated, we had very good interaction with the hon. Sports Minister. Everyone in this House was saying that if every Bill or any kind of problem that come up before Parliament, if we could take up them in a family and cordial way, most of the Bills and problems that we face could be solved very easily.

Like you had said while giving reference to the youth, the backbone of the country, we have 50 crores of youth, we may not be having so many institutions. It is true. Like you have said, I would also agree with you that there is a lot of brain drain. But we have institutions like the Academy for Scientific and Innovative Research, which is a part of the CSIR, where children are being groomed; they are being given preference and facilities where children could be educated, specially in the fields of medicine and other sciences.

In this case, I would like to contradict. This is the system where we are trying to get the youth involved not only in studies but also in co-curricular activities like sports. The process that have been given in this Bill shows that this Bill is of a very important nature. Specially, when we can see that the Advisor is the President of India, himself or herself. This shows how much importance the Government is taking to make it an institution of national importance. This itself shows how much the Government and the Ministry of Youth Affairs are taking deep cognizance of it.

I have not much to say because this Bill itself has been introduced in Lok Sabha by our hon. Minister, Shri Ajay Maken. I really think that this Institute which has come up in Kancheepuram should not only be self-centered there, like my very learned friend has said, we have to take up issues of the backward classes, women folk; we have to give importance to other areas, especially in the North-East or places like Chhattisgarh or Odisha, Bihar, West Bengal where the youth are being misguided. They have taken the wrong track. This kind of Institute and their branches should spread out throughout the country. I am requesting the hon. Minister of Sports and Youth Affairs that this kind of institutions should really be spread out throughout the country.

Like our learned friend has said, one institute cannot rectify all the vices of the youth throughout the country. But in some cases, when the hon. Member referred about the IPL and incident which just occurred, it is very unfortunate that these incidents occured. I know that the hon. Minister also has stated that it is not in his knowledge. These are very specifically individualistic issues which had come up. I know that and with due respect and regard to the media, we don't want to make it a very big issue. But it is an issue of self-centered individual persons because our Minister himself has stated and

gave a clarification this morning and made his stance very clear.

Of course, about our BCCI also, it has been made responsible and they have been asked to pay their dues and also tax that we have got from our Cricket Board itself shows that he is really taking some interest in it. Sir, the hon. Member from the other side mentioned about some issues which have been raised in the Standing Committee and he specially mentioned about the 'mentor group' and also about Clauses 6 and 7 of the Bill. The hon. Minister has said that they have already been covered and suitable amendments have been proposed. The Standing Committee advised about composition of an Academic Council and a Finance Committee. They have also been included in the Bill. It is stated in the Bill that the Annual Report and the Audited Accounts of the Institute shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament. I think it is very important because this Institute has to be given its due honour and regard. From the North East, we are really very grateful to the family of late Shri Rajiv Gandhi and setting up a national institute in his name is a very big achievement for all of us.

I hope the entire House commends this Bill, with the amendments proposed by the hon. Minister. With these words, I support the Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान बिल, 2011 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कीर्ति आज़ाद भाई की बातों को सुन रहा था। सबसे पहले मैं देश के तत्कालीन युवा प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि जब राजीव जी देश के युवा प्रधान मंत्री बने तो युवाओं के मन में बहुत सी आशा की किरणें जगी थीं और उन्हें उनसे काफी उम्मीदें थीं। उनके अनुरूप और युवाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत कुछ किया।

14.57 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

सदन में चर्चा के दौरान यह बात भी आई कि 18 वर्ष के आयु में युवाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू करके, उसमें भी खासकर युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम राजीव जी ने किया। यह भी सच है कि आज देश में 55 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, जिनके कंधों पर देश का भार है और जो देश के भावी कर्णधार हैं। उनके बारे में जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास बिल यहां पेश किया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यह राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है।

राजीव जी ने 21वीं सदी का सपना भी देखा था। मुझे याद है कि जब पेरुम्बुदूर में उनकी मृत्यु हुई, तो उससे कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे क्षेत्र कौशाम्बी में एक जनसभा को सम्बोधित किया था। मैं दो बार कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं इसलिए मुझे उनके काफी नजदीक होने का मौका भी मिला है। जब मैं पहली बार 1985 में चुनाव जीता था तो वह इलाहाबाद के के.पी. कालेज में आए थे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा था कि मैं इनके साथ हूं, इनकी पांच पीढ़ियों से हमारा सम्बन्ध रहा है। शायद सोनिया जी को यह मालूम नहीं है कि मेरे नाना-दादा से भी पहले का हमारा गांधी परिवार से सम्बन्ध रहा है। कभी कोई मौका आएगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या सम्बन्ध रहा है।

युवाओं पर चर्चा चल रही है तो हम देखें कि हमने इसी सदन में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा पर भी चर्चा की थी। आज सुबह प्रश्न काल में बेरोजगारी के ऊपर काफी चर्चा हुई। ये सब मामले युवाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफी विकट है। मेरे ख्याल से 45 से 50 प्रतिशत आज कुपोषण के शिकार हैं। बालयोन शोषण की शिकायतें दिन-प्रतिदिन मिल रही हैं और बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है। खासकर हमारे मुस्लिम तबके में वह बहुत ज्यादा है। युवक मंगल दल की स्थिति की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह तालुका स्तर पर है। हमारे ग्रामीण स्तर पर बहुत सी प्रतिभाएं हैं, जो अपने इलाके के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं।

15.00 hrs.

उनकी प्रतिभा आज दबी की दबी रह गई है और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेहरू युवा कल्याण केंद्र आपने गठित किया है। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया है। आज जिलों और जनपदों में आप खेल मैदान और ग्राउंड देख सकते हैं, लेकिन केवल क्रिकेट के लिए बनाए गए हैं। प्रांतीय सरकारों और केंद्र सरकार ने केवल क्रिकेट पर ध्यान दिया है और हम मेज थपथपा कर स्वागत भी करते हैं, लेकिन आप अगर ग्रामीण स्तर के खेलों को देखें, चाहे वह कुश्ती हो, कबड्डी हो, जिसमें हमारे खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले कर आए हैं और देश का नाम रोशन किया है। आप राष्ट्रीय खेल हाकी को देख सकते हैं। इसमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हुए हैं, आप ध्यान चंद जी का नाम ले सकते हैं। इन्हें हम हाकी का जादूगर कहते थे। आज ये खेल दिन-प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। कहीं भी इनका कोई सम्मान नहीं रह गया है। आज आईपीएल के लिए कीर्ति आजाद जी ने कहा और मैंने भी मामला उठाया था। आज देश का सम्मान और गौरव को नष्ट किया जा रहा है। अभी काले धन पर किताब पढ़ रहे थे, आज हमें श्वेत पत्र मिला, लेकिन उसमें विशेष बात नहीं कही गई और न ही किसी संस्था का नाम लिया गया। पूरे आईपीएल का पैसा, काले धन का पैसा इसे श्वेत धन में तब्दील कर दिया गया। खिलाड़ियों पर व्याभिचार के आरोप लगे हैं। कोकीन लेने तक के समाचार आए हैं। खिलाड़ी मुम्बई में नशे की हालत में पकड़े गए। हमारे देश में यह क्या हो रहा है? हमने क्रिकेट में वर्ल्ड कप दो-दो बार जीता है, लेकिन इस कारण हमारे देश का सम्मान गिर रहा है। मैं बीसीसीआई से कहूंगा कि कठोर कदम उठाए और इस मामले को पुलिस को सौंपे। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों पर पाबंदी लगनी चाहिए।

मैं बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर ऐसे खेल जो विलुप्त हो रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए, सशक्त कीजिए और उन्हें धन दीजिए। बहुत-सी ऐसी प्रतिभाए हैं, जो ग्रामीण स्तर पर खेल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और आर्थिक तौर

पर मजबूत करना चाहिए। आप दूसरे देशों में देखें कि खिलाड़ियों पर सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही हैं। उनके रहने से ले कर खाने-पीने तक, कसरत के लिए हर चीज की सुविधा दी जा रही है, लेकिन हमारे यहां जब उनके खेल का समय आता है, तभी उन्हें सुविधाएं देते हैं। इस तरह से हम कैसे विदेशों में खेल कर स्वर्ण पदक ला सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में विशेष ध्यान दें, तभी यह संस्था जो राजीव गांधी जी के नाम से बनाई है, उनके सपनों को तभी साकार कर पाएंगे, जब इस तरफ विशेष ध्यान देंगे।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि आज आतंकवाद विरोधी दिवस हम मना रहे हैं और साथ ही पूरा देश भी मना रहा है। इस क्षेत्र में काफी योगदान करने वाली इस देश की हस्ती ने आज से इक्कीस वर्ष पहले अपनी शहादत दी थी।

सभापति महोदय, 55 करोड़ युवाओं की बात हम एक साथ कर लेते हैं और बिल ला कर आप इसे जो राष्ट्रीय ताकत देने जा रहे हैं, यह काफी अच्छा काम है। मैं कहना चाहता हूं कि थ्योरी और प्रेक्टीकल में थोड़ा अंतर करने की जरूरत है। हम लोग तो पहली बार के सांसद हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि थ्योरी पर काम ज्यादा और प्रैक्टिकल पर काम कम हो रहा है। थ्योरी मैंने इसलिए कहा, प्रैक्टिकल इसलिए कहा कि एक रिक्शा चलाने वाला जब दिन भर में रिक्शा चलाता है तो 200 रुपये कमाता है। टैम्पो अगर खरीद लिया तो 500 रुपया रोजाना कमाता है। अगर स्कॉरपियो गाड़ी खरीद ली तो 1000 रुपये कमाता है और अगर कहीं ट्रक ले लिया तो 2000 रुपये कमाता है। लेकिन थ्योरिकल जहाज सरकार खरीदती है तो हम घाटे में जा रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर है। आपके जहाज घाटे में जाते हैं लेकिन श्रम करने वाला वह गरीब आदमी रिक्शा चलाकर भी 200 रुपये कमा लेता है। यह जो संस्थान आपने बनाया, इसको प्रैक्टिकल में ले चलिये। 55 करोड़ नौजवान की हम बात करते हैं और सही में अगर देखा जाए तो यहां जो हम सांसद आए हैं, जब हम लोग कक्षा 2, 3 और 4 में पढ़ते थे तो एक पीरिएड खेल का हुआ करता था और उसके बाद आज वह एक मजाक सा बन गया है।

जितने प्राइवेट सैक्टर के विद्यालय हैं, कहीं भी खेल को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। .यह कहा जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा और जिस देश का स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क हो जाए तो वह देश मजबूत देश हो जाएगा। 13 वर्ष के पहले स्वाभाविक है कि बच्चा मां की गोद में रहता है। केवल भारत के नौजवान के पास 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का समय उसके पास है जो वह कुछ बन सके लेकिन इस 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के नौजवान के साथ हम आजादी के बाद जो कर पाए हैं, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं। विज्ञान कहता है कि शरीर के सभी अंगों में अगर जीभ को चोट लग जाए तो सबसे पहले ठीक होगी। यह विज्ञान कहता है लेकिन ज्ञान कहता है कि शरीर के पूरे अंगों में अगर जीभ की चोट, भाÂÂा की चोट किसी को लग जाए तो वह कभी नहीं ठीक होती है। यह ज्ञान कहता है और वह विज्ञान कहता है।

हम अपने देश के नौजवान को ज्ञान दे रहे हैं या विज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले इन सभी संस्थानों को इस पर विचार करना होगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि वे लोग मूर्ख हैं जिन्हें मनुÂय में भगवान नहीं दिखते हैं। यह बात देश के नौजवान के बीच में कब जाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का नौजवान बेकार होगा, उस देश का भला नहीं हो सकता। यह बात इस देश के नौजवान के बीच में कैसे जाए? प्रैक्टिकल क्या है? आज इंटरनैट के नाम पर हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मोबाइल के नाम पर माहौल कर दिया है कि एक 13 वर्ष का बच्चा 20 वÂ र्ष का होते होते उसके कान में गानों का मोबाइल लगा हुआ है, वह जब पढ़ने लिए रेलवे स्टेशन जाता है, आई.आई.टी. पढ़ने जाता है और ट्रेन पीछे से आती है और मार देती है। ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह माहौल अपने देश के नौजवान को हमने दिया है कि कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी दयानंद, सम्पूर्णानंद जी, टैगोर इत्यादि और तमाम इतिहासकार के साहित्य को पढ़ना बंद हो चुका है। आज एक ऐसा साहित्य हमने अपने देश के नौजवानों के लिए प्रस्तुत कर दिया है और वह नौजवान जब कोई गलती करता है तो क्या स्थिति है?

हम खेल का विकास कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में 11 प्लेयर एक तरफ से होते हैं। 55 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को हम क्रिकेट का खिलाड़ी बना सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि हजार का आंकड़ा पार नहीं होगा चाहे प्रांत स्तर के खिलाड़ी हों या रÂट्र स्तर के खिलाड़ी हों। लेकिन देश का हर नौजवान जो 13 वर्ष के ऊपर है, वह गांव में पढ़कर आने के बाद बस्ता फेंका और फेंककर वह क्रिकेट खेलने लग रहा है और ऐसी एजेंसियां हैं कि जब परीक्षा होती है तो ठीक उसी समय पर क्रिकेट के मैच शुरु हो जाते हैं और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। इस बात को कौन देखेगा? क्या ये संस्थान देखेंगे? इसको आपको देखना चाहिए।

मैं क्रिकेट को नहीं कह सकता क्योंकि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, जहां तक मेरी जानकारी है, वही लोग इस खेल को लेकर आए थे। जो हमारे ऋषि, महापुरूषों का खेल था, उसे हमने समाप्त कर दिया है। आज किसी साधु, महात्मा से योग सीखना नहीं पड़ता है। अगर हमारे गांवों में अखाड़े होते, गांव के अखाड़ों को खत्म कर दिया, किसी भी गांव में अखाड़ा नहीं रह गया है, सुबह आठ बजे नौजवान जब वहां जाता था तो पूरी जिन्दगी उसे शुगर नहीं हुई। हमारे माता-पिता को शुगर नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को 60 वर्ष की उम्र में ही शुगर झेलना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि कुश्ती का खेल होता था, कबड्डी होती थी, फुटबाल खेला जाता था, तमाम तरह के खेल खेले जाते थे, आजादी के 60 वर्षों में इन खेलों की दुर्गति कर दी गयी, मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल में लाइये, भारत की संस्कृति जिस खेल को चाहती है, जो भारत की सभ्यता को जिंदा करना चाहता है, जो भारत को मजबूर भारत बनाना चाहती है, हम अपने नौजवान को कैसा बनाने चाहते हैं? हम भारतीय नौजवान बनाना चाहते हैं या इंग्लिस्तानी नौजवान बनाना चाहते हैं, मुट्ठी भर इंग्लिस्तानी नौजवान भले बन जायेंगे, लेकिन 50 करोड़ जो भारत का भारतीय नौजवान है, उनकी राह पर जाकर वह बात नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तरह-तरह के खेलों में एक-एक खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को छोड़ दीजिये, हमारे खेलों के जो टीचर्स हैं, जो उन्हें पढ़ाने वाले हैं, जो उनके गाइड हैं, उनकी बात छोड़ दीजिये, लेकिन हमारा यह देश, जिस पर हमें गर्व है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोग लुभाते थे, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप आदिवासी इलाकों में चले जाइये, ऐसे-ऐसे आदिवासी तीरंदाज हैं, जो स्वर्ण पदक ला सकते हैं, लेकिन वे चयनित नहीं हो सकते, वे नहीं जा सकते हैं। पचास, पचपन करोड़ में एक पदक, हमारे पास करोड़ों नौजवान हैं, जो मछुआरा है, वह नदी में 5-5 मिनट तक पानी के अंदर रहने का कौशल रखता है। वह नदी में पानी के नीचे 5-5 मिनट तक रह सकता है। आज उस मछुआरे की क्या दशा है? आज उस नौजवान की क्या सोच होगी जो मनरेगा में हाईस्कूल और इंटर पास करके काम कर रहा है? इस देश का वह नौजवान क्या करेगा? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के नौजवान के लिए जल्दी से जल्दी इस पर बहस कीजिये। अगर देश का नौजवान भटक गया, आज उसी देश के नौजवान ने नक्सलाइट बनकर देश के सामने समस्या खड़ी की है। वहीं नौजवान आज गुमराह हुआ है। देश के उस नौजवान के हाथ को काम दीजिये। खेल के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रैक्टिकल यह है कि किसी भी विभाग में आप फोन कीजिये, चाहे वह राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे यहां कर्मचारी नहीं हैं, कर्मचारियों की कमी है। एक तरफ सरकार कहती है कि कर्मचारियों की कमी है और दूसरी तरफ हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की ऐसी फौज है, जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उसके पास कोई अवसर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी

योजना हमने दी है, केवल माटी खोदने के लिए, केवल माटी फेंकने की योजना है, केवल कुदाल चलाने वाले नौजवान को रोजगार की गारंटी दे दी, लेकिन अगर कोई नौजवान टॉफी बनाना जानता है, कोई नौजवान साड़ी बनाना जानता है, कोई नौजवान फ्रिज बनाना चाहता है, उसके रोजगार की गारंटी कौन देगा? क्या इस पर चिंता हुई? उस नौजवान के रोजगार की गारंटी कौन देगा?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश का नौजवान, अवसर प्राप्त बच्चे जो हैं, वे भी अभी चैन से नहीं हैं, उनकी भी वही पीड़ा है और वह दिन दूर नहीं, यह भारत कृषि प्रधान देश था। अभी जिनके पास दो बीघा खेत था, उनके चार बेटे हो गये और उनके हिस्से में पांच-पांच कट्ठा आया। अभी वे बीपीएल धारक हुए हैं। लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जिनके पास दस एकड़ खेती है, वे भी भ्रम में न रहें, उनके भी पांच बेटे हो गये, अब वे दो-दो एकड़ पर आ गये, उनके भी पांच बेटे हो जायेंगे। क्या हम अपनी आने वाली औलाद को हम बीपीएल कार्ड देकर जाने वाले हैं? अगर देकर जाने वाले नहीं हैं तो एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। जितने भी इस संस्थान से संचालित हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, इन्हें भी प्रैक्टिकल में जाना होगा। मैंने देखा, कमेटी होगी, इस कमेटी में शिक्षा क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, इस कमेटी में शैक्षणिक क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, खेल क्षेत्र का आदमी होगा। लेकिन वह प्रैक्टिकल के क्षेत्र का होगा जिनका गाँव में अनुभव है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के नौजवानों की जो स्थिति बनती जा रही है, उसके सामने अंधेरा है। जब सामने अंधेरा है तो तरह-तरह की घटनाएँ होंगी। आठ बजे, चार बजे, भोर में जो नौजवान सवेरे उठकर किसी न किसी काम में लग जाए, हमारे पूर्वज कहते थे कि खाली दिमाग खुराफ़ात का घर होता है। खुराफ़ात रोकने के लिए जो सारा समय आप बरबाद कर रहे हैं, हमारे देश के नौजवान का खाली दिमाग भरने में अगर यह संस्थान कामयाब हो जाए, तब मैं समझता हूँ कि इस बिल का मतलब है। अगर यह कामयाब नहीं होता है तो फिर थ्योरी बना लीजिए। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011 माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, इसके संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश में युवा नीति तो अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन युवाओं के लिए आपने एक संस्थान जो पहले से पेरम्बदूर में काम कर रहा था, उसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर आपने इस विधेयक के रूप में लाने का काम किया। युवाओं के मन में एक उत्साह का वातावरण पैदा करने का आपने काम किया, इस प्रयास के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो चिन्तन था, जो विचार था - युवा को ताकतवर बनाना और युवा को मानव संसाधन के रूप में पहचान करना, अगर उस दिशा में यह बिल और यह संस्थान काम करता है तो निश्चित रूप से देश के लिए यह सकारात्मक पहल होगी। इस बिल में हमने अभी देखा कि इस संस्थान के जो अधिकारी होंगे - कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त परिषद् आदि, इसमें आपने कहा कि इनके जो सदस्य होंगे, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी, पिछड़े वर्ग की भी भागीदारी होगी, समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी इसमें होगी, लेकिन इसके मापदंड के लिए आप लोगों ने कोई कंक्रीट बातें इसमें नहीं लिखीं। एक चलती-फिरती बात आपने डाल दी है कि सबकी भागीदारी होगी। हम आपसे यही चाहते हैं कि भागीदारी का क्या प्रतिशत होगा, वह आपको इसमें लाना चाहिए था। चूँकि नहीं है, फिर जाकर यह झगड़े की वस्तु न हो जाए, ऐसी सोच आज हमारे बीच में नहीं रहे, और ...(व्यवधान)

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है। जो मैन्टॉर ग्रुप की हमारी रिपोर्ट थी और जो स्टैन्डिंग कमेटी के रिकमंडेशन हमारे पास आए हैं, उनके अंदर हमने माना है। पहले जो हमारा बिल था, उसके अंदर एकैडैमिक काउंसिल थी और एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल और फाइनैन्स काउंसिल की क्या रेशियो होगी और किस तरीके से होगा, वह नहीं था। जो अमैंडमैंट हमने मूव किया है, उसके अंदर हमने एकैडैमिक काउंसिल की संख्या 18 और फाइनैन्स काउंसिल की 7 रखी है। एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में पहले ब्यूरोक्रेसी की संख्या ज्यादा थी। उसमें जॉइंट सैक्रेटरी को कम करके हमने उसमें से हटाया है ताकि उसके अंदर समाज के अलग-अलग वर्गों के रिप्रजैन्टेटिव्स को उसमें डाल सकें। माननीय सदस्य ने जिस बात को रखा है, उसका हम लोगों ने पहले से ही संशोधन के अंदर ध्यान रखा है, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन राय : धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन इसमें यह भी क्लियर कर लेना चाहिए कि किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है। शैडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग और महिलाओं, इन वर्गों की बात तो हर विषय में आ जाती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे आगे आपने कहा कि मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसमें चिन्तन समूह विकसित करना है और उन चालीस संस्थानों में केवल यही संस्थान युवाओं के लिए विकसित करने के लिए आप यह बिल लाए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं चूँकि 13 से 35 वर्ष के लोग युवा हैं और हम लोग युवा से ऊपर हो रहे हैं, 40 वर्ष हमारी उम्र हो गई है। हम लोग समझते थे कि 40 वर्ष के लोग भी युवा होते हैं, लेकिन आपने उनको बाहर करने का काम किया। हम जिस सदन में बैठे हैं, हम समझते हैं कि 13 वर्ष के लोगों को तो यहाँ आने का अधिकार ही नहीं है। 25 से 35 वर्ष के लोगों की संख्या अगर इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत है, कहने का मतलब यह है कि 55 करोड़ आबादी जिस वर्ग की है।

अपना देश ही नहीं, दुनिया में, राजीव गांधी जी ने अपने समय में यह महसूस किया था। पहले भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है, लेकिन वे आज नहीं रहे। लेकिन आपकी सरकार और पार्टी आज भी यह महसूस करने को तैयार नहीं है कि युवाओं को असली ताकत डेमोक्रेसी में जो असली ताकत होती है, वह राजनीतिक ताकत और खासकर के राज्य का सदन या पार्लियामेंट हो, इनमें युवाओं की भागीदारी विभिन्न पार्टियों और खास कर के आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, जिसके युवा नेता आज पूरे देश में युवाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और युवा आ भी रहे हैं। लेकिन पार्टी लेवल पर या सरकार के लेवल कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है, जिससे किसी भी क्षेत्र में युवाओं को उसकी आबादी के अनुसार या उससे कम ही सही, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। फिर भी आपने प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप दो सौ स्नातकोत्तर और दो सौ डिप्लोमा छात्र एक साल में तैयार करेंगे। ये किस तरह के छात्र होंगे? इस के बारे में भी आपको बताना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि कीर्ति आजाद और आपमें कुछ मतभेद थे जिसका आपने स्टैंडिंग कमेटी और मैंटर ग्रुप के माध्यम से आपने निष्पादन कर लिया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब बराक ओबामा इस देश में आए थे तो उन्होंने सैंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए विवेकानंद जी की बात को उद्धृत किया था। इस देश में विवेकानंद जी को युवा का सिम्बल माना जाता है। जिन्होंने कहा था कि स्वयं के सुधरने से देश सुधर जाएगा। दुनिया को सुधारो, देश को सुधारो, समाज को सुधारो उससे अच्छा है कि खुद सुधर जाओ। वहीं पर जब यहां से बराक ओबामा वापस जाते हैं तो अपने देश के युवाओं को कहते हैं कि दुनिया के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो भारत के युवा दुनिया पर एक छत्र शासन करेंगे। इसका कारण यह है कि भारत के युवाओं ने भारत से बाहर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, हम समझते हैं कि दुनिया के किसी देश के युवाओं में यह ताकत पैदा नहीं हो पायी है। सरकार ने एक उत्तर में बताया है कि अमेरीका में 38 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय हैं, जो वहां

पढ़ने के लिए गए और वहीं बस गए। माइक्रोसाफ्ट में काम करने वाले 34 प्रतिशत इंजीनियर भी भारतीय हैं। नासा में काम करने वाले 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भी भारतीय हैं। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां हमारे देश से ब्रेन ड्रैन हो रहा है। छात्र पढ़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज, यूएसएसआर और अन्य देशों में जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आता है। इस पर माननीय सदस्यों ने भी विचार प्रकट किए थे। स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा चल रही थी और माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि किसी समाचार पत्र में खबर छपी थी कि देश में 15 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। देश में आठ लाख डॉक्टर हैं। सात लाख डॉक्टरों को पूरा करने में देश को 60-70 वर्ष लग जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश से जो डॉक्टर विदेश जाते हैं, वे विदेश से वापस नहीं आते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? इतना बड़ा जनतत्र, जिसमें युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी है, वह देश की सबसे बड़ी ताकत है। वही युवा जब यहां से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, जिसके बल पर देश के युवा, जो बाहर जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, अनुसंधान अन्य कार्यों के क्षेत्र में देश से बाहर जाते हैं, वह वापस देश में क्यों नहीं आते हैं। इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस संस्थान के माध्यम से आपको एक यूनिट लगानी चाहिए। जिस काम के लिए आप बढ़े हैं, उसको बड़ा रूप दीजिए, हजार-दो-हजार लोगों में, केवल शहर के कुछ लोगों में मत सिमटिए। भारत की असली आत्मा गांव है, जहां 65 से 70 प्रतिशत लोग रहते हैं। गांव में आज भी लोग क्रिकेट नहीं जानते हैं। वे इसे केवल टीवी में देखते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी ईनाम से या अन्य कार्यों के माध्यम से बहुत पैसे कमाते हैं। इसलिए लोगों का आकर्षण क्रिकेट की तरफ है। हॉकी या अन्य तरह के खेल समाप्त होते जा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, समाचार पत्रों से पता चलता है कि आप रचनात्मक विचार के व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि युवाओं को विस्तारित रूप से ताकत देने के लिए आपको एक प्रारूप या विधेयक लाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। चाहे आप इसी यूनिट के तहत लाइए या किसी अन्य यूनिट के तहत, लेकिन लाएं जिससे गांव में रहने वाले जो किसान, मजदूर, गरीब, और समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उन्हें दुनिया की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिल सके और भारत मजबूत हो सकें।

सभापति जी, इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी बात मैं बताना चाहता हूं। आज़ादी की लड़ाई के बारे में चर्चा हुई। आप जितने भी शैक्षणिक संस्थान और चिंतन-मनन के संस्थान खोलते हैं, सारे शहरों में ही खोलते हैं। ग्रामीण इलाके के हमारे जो युवा हैं, उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी से पहले की जो घिसी-पिटी व्यवस्था थी, वह आज़ादी के बाद आयी और वह आधुनिक दुनिया से अपरिचित है, महरूम है।

सभापति जी, हम आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के संस्थान खोले जाएं। आपका नेहरु युवा केन्द्र है। आप कहते हैं कि 400-500 जिलों में इसकी यूनिट्स हैं, पर हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। उस पर आप खर्च भी करते हैं। सरकार के पैसे का अपव्यय हो रहा है। इस तरह के संस्थान को जिसे आपने एक ऊंची सोच के साथ लाने का काम किया है, इस संस्थान का भी यही हश्र नहीं होना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के समय में संकल्प लिया कि यह देश वर्ष 2020 तक एक विकसित देश बनेगा। आखिर यह विकसित देश कैसे बनेगा? आप दुनिया के इकोनॉमी में अपने आपको कैसे लाएंगे? आपका जीडीपी कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जो रोज़गार का सृजन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में आप पिछड़ रहे हैं। फिर भी आपका संकल्प है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरा सुझाव है कि अगर देश का एक व्यक्ति एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का गबन कर देता है, सरकार के एक व्यक्ति की वज़ह से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर देश के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं जो कि देश के युवाओं के विकास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है।

स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि मोबाइल नेटवर्क से पूरे देश को जोड़ा जाए। इस दिशा में विकासवादी युग में आपने सफलता पायी, लेकिन सबसे दिक्कत वाला पक्ष इसमें यही है कि एक व्यक्ति की वज़ह से, एक मंत्रालय की वज़ह से एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर पूरी दुनिया में इस देश की जगहंसाई होती है।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की राशि का दुरुपयोग क्यों होता है? आप पन्द्रह लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं। लेकिन, इसमें युवाओं, खासकर ग्रामीण युवा, पिछड़े, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं के ऑल राउण्ड डेवलपमेंट के लिए जो नीति होनी चाहिए, इसमें आपने नहीं की है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो गरीब, शोषित युवा हैं, उनके लिए ग्रामीण इलाकों में जाने का कार्य करें।

मैं आपके यूथ फोरम का सदस्य हूं। आपने ग्रामीण इलाकों में खेल की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए, इस पर भी ध्यान देंगे और शहर और गांव में संतुलन बनाकर विश्व के स्तर पर अपने युवाओं को ताकतवर बनाने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this subject concerning the youth. At the outset, I rise to support the Bill titled the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011.

The Bill in question envisages to declare the institution known as the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, to be an institution of national importance, and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto. I am happy to mention here that the Headquarters of the Institute will be at Kancheepuram in our State, Tamil Nadu. I am very much thankful to the hon. Minister for this visit.

Sir, as we have been constantly saying that the present youth are the future leaders of our nation. The present Bill is in this direction and I, therefore, welcome it in my personal capacity as well as on behalf of my Party, DMK.Having so far got only one gold medal in 2004, India aims to achieve many in the coming events such as Olympics, etc. Many economists in the world predict that India is going to emerge as an economic super power very soon. I am sure that the present Bill paves the way for India to become a super power in sports too. However, we need to do many things to achieve this.

I am confident to say that there is no dearth of talents in India, The sport facilities such as bigger stadiums and other infrastructure only exist in urban areas and in cities, particularly in major cities. Even though the major chunk of our population live in rural areas, people living in these areas fail to get these facilities. If we aim for development of sports in our country, we

should create sports infrastructure in the rural areas also.

Another thing which I would like to bring to the kind notice of the Government is that the Government should consider sports as one of the subjects in school curriculum. The Central Government should provide funds to schools through the respective State Governments for creation of infrastructure for sports activities at school levels. We can mainly identify the type of talent hiding in all children at school levels.

I have recently come across a news item that the hon. Minister of State is seriously thinking of introducing sports as a curriculum in schools. There is also a talk that in both domestic as well as international events, only influential persons gain entry. Hence, there is an urgent need to screen such selections.

The Central Government should allocate more funds to the State Governments to create infrastructure facilities in rural areas, that is, creation of play grounds, purchase of sport equipment, etc. The Central Government should also make sincere efforts to conduct sports events more frequently in all parts of our country, so that the students would be motivated to participate in sports events.

At the end I would like to say and I am sure that you will agree with me that India got the boost in sports only we hosted the Asian Games in India in the past. Therefore, I urge upon the hon. Minister to look into it and should direct the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development to take steps to ensure such things are carried out, to enable us to produce more talented sports persons in the country.

With this I conclude and support the Bill.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011.

Today we all paid homage to the martyrdom of Shri Rajiv Gandhi, a gentleman and leader with a vision. I would like to quote his famous words with your permission, Sir. "I am young. I too have a dream."

Millions of our people in our nation have dreams. They are young also. But what about the dreams coming true? It is the duty of this august House to ensure that the dreams of our young people come true. We have discussed in this august House on many occasions issues like the unemployment situation prevalent in the country, prevalence of rampant poverty, rapid growth of inflation, lack of basic necessities of life, denial of social justice, etc. Have we given adequate importance to such discussions? I am not going into the general situation of youth in this country because all of us have come through that period.

Mr. Chairman, you are a very good sportsman. We are all very happy and I am very proud of this. You are a sportsman till now and you speak very good language of the youth and you seem to be young too.

Sir, I am coming to nothing else but the Bill. It may not be just a coincidence that we are discussing this Bill and the Minister is in a hurry to get it ensured that this House passes this Bill today itself, but there are certain points to which I would like to invite the attention of the hon. Minister, through you, Sir.

Sir, I would like to invite your attention to Page No. 2, Chapter 2, clause 4(4) which says "The institute may establish and maintain centres at such other places as it may deem fit." Of course, I am not challenging the authority of the Executive Council or the Government of India, but my humble request is that we are a federation and the Constitution of India itself in Article 1 says : "India, that is Bharat, shall be a Union of States." If there are no States, there will not be any Union at all. Giving all powers, you can start centres wherever you want and you need not start centres where you do not want to. Sir, I would like to join with the feelings expressed by one of the hon. Members from the Treasury Benches. It will be giving justice to our youth.

MR. CHAIRMAN : Please be brief.

SHRI A. SAMPATH: Sir, I will be brief. This is a very important Bill. If you consider so, just allow me to finish my speech because I am coming from a remote part of the country, a very distant area. Do not suffocate my voice. Sir, I beg before you. ...(*Interruptions*) I have covered what we all have.

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I would like to invite your attention to a very important point in Chapter III – Authorities of the

Institute. This will be an institute of bureaucrats, if it is established after the Bill is passed. It is mentioned that the Government appoints the Visitor. If the Rashtrapatiji is appointing another person as the Visitor, then he or she is the Visitor. Here also, I would like to invite your attention to Page No. 4, clause 8(1) which reads:

> "The Institute shall be open to persons of either sex â€¦. "

There should be an amendment. Here 'any sex' should be mentioned. There are also minorities on the basis of sex in this country. So, it should be 'any sex'.

Coming to Chapter III, we are discussing about the democratic principles in various institutes. I do not know why the Minister is very much adamant to exclude Members of Parliament from the Executive Council. In many of the universities, Members of Parliament are represented. We elect our representatives to participate in those senates, governing bodies, syndicates, executive committees. There is no mention in this Bill with respect to this Institute of the Members of Parliament. We should get an opportunity to elect four Members of Parliament from this House and two Members of Parliament from the other House. It should not be an enterprise consisting of bureaucrats. Everybody from Secretary to Joint Secretary is there. This is going to be a ship of the bureaucrats. That cannot be tolerated.

Then, clause 12(3) says:

> "While nominating the members of the Executive Council under sub-section (2) due representation shall be given to women, different regions of the country, and weaker sections of the community and differently abled persons."

I could not understand how this representation can be ensured if all these bureaucrats are taking the seats.

Sir, I would like to invite your attention to another matter. What about the youth? We have very good and vibrant youth organizations in this nation. They may have political affiliations also, but what is happening here? There shall be one representative from the industry to be nominated by the Central Government from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry or Confederation of Indian Industry.

Sir, today we also got a copy of White Paper on Black Money presented by hon. Finance Minister. You will be quite shocked, if you go through this document. So, I would like to invite your attention to this document also. If we are saying that we do not have enough money to give adequate opportunities to the young people, then what does this White Paper on Black Money say? Our hon. Finance Minister, the Leader of the House, laid this paper on the Table of the House today. This also happened on the very same day.

This Bill talks about Rs. 100 crore corpus.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I would require only two minutes as this is very important. While preparing this Bill, there have been many 'cut, paste and copy' that have taken place in this Bill. This cannot be allowed. This is very ridiculous. I may be permitted to use such a word because I did not get any other word from the Oxford dictionary. Hence, I have used this word.

I may be permitted to invite your attention to Page No.7, Clause No. 16 (3), which states that : "While nominating the members of the Academic Council, due representation shall be given to women, different regions of the country, weaker sections of the community and differently abled persons." Sir, now kindly see Clause 18 (1), which states that : "There shall be a Finance Committee of the Institute, which shall be the principal financial body of the Institute." Clause 18 is regarding Finance Committee. Then comes the problem, namely, Clause 18 (3), which states that : "While nominating the members of the Academic Council, due representation shall be given to â€¦" This is 'cut, paste and copy', which has taken place in this Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, you have made your point.

SHRI A. SAMPATH: Sir, this is the Parliament of India, and a Bill has been circulated to the hon. Members ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, nothing more will go on record.

(Interruptions) â€¦

MR. CHAIRMAN: I gave you enough time to speak. Nothing more is going on record.

*(Interruptions) â€¦**

SHRI A. SAMPATH : Sir, just give me a minute more to speak.

MR. CHAIRMAN: No, not a minute more. Shri Lalu, please start now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: Please respect the Chair. Shri Lalu, please start now.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. Nothing is going on record. You have made your point. Please sit down now, and please do not waste the time of the House.

(Interruptions) â€¦

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, राजीव गांधी राÂष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को आज हम बिना हरे-फिटकरी के कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है। वÂाऩ 1993 में यह सोशायटी के रूप में काम कर रहा था। इसे पहले ही कानूनीजामा पहनाना चाहिए था जो कि आज पहना रहे हैं। इतने विशाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्व. राजीव गांधी जी की आज के ही दिन हत्या हुई थी। आज उनकी पुण्य तिथि है। उनकी कही हुई बातों को, देश की युवाओं की तरफ जो उनका ध्यान गया, उनके सपना को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। देश के युवा एवं युवती को हर तरह से तैयार करने के लिए आज हम कानूनी रूप दे रहे हैं।

महोदय, वÂर्ष 1977 में, मैं यहां आया था। रामबिलास जी हाजीपुर से हम से ज्यादा वोट से जीत कर आए थे और हम सेकेण्ड थे। हम लोग कम उम्र के थे। हम लोगों ने राजीव गांधी जी को देखा था। हम राजनीति करने वाले लोगों को उन कारणों को देखना चाहिए, याद करना चाहिए। राजीव जी एक उन्नत, विकसित, साक्षर भारत और दुनिया में पहली पंक्ति में भारत आए उन्होंने यह सपना संजोया था। इसलिए उन्होंने युवा शक्ति को रिकग्नाइज किया और 18 वर्ष के युवा-युवती को बालिग मताधिकार दिया। यह मामूली बात नहीं है। ...(व्यवधान) उन्होंने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए देश के मेन स्ट्रीम में युवा और युवती को लाए। उन्हें अलगवाद और आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए देखा है। जो हेट्रेड इस देश में पैदा किया गया है या इस परिवार के प्रति जो घृणा पैदा किया गया है हम उसका यहां पर बयान नहीं करना चाहते हैं। आज उनकी पुण्य तिथि है। गंदा वातावरण और गंदी राजनीति के तहत उनकी हत्या कर दी गई। स्व. इंदिरा जी के शहादत के बाद देश ने राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कबूला। आज जो करप्शन की बात करते हैं, राजीव जी ने बेबाक रूप से कहा था कि हम जनता के लिए एक रूपया देते हैं तो चार आना भी आम अवाम के पास नहीं पहुंच रहा है। यह स्वीकार किया। उन्होंने देश को बताया कि करप्शन पर कैसे काबू किया जाए। उन्होंने मुहिम चलाई। अलगाववाद से देश कैसे आगे बढ़ेगा। वे आतंकवाद की बलि पर चढ़ गए। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। हम अपने दल की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वे आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। इसलिए यूथ को सिर्फ खेल और खिलाड़ी ही नहीं, पढ़ाई, शिक्षा आदि हर तरह से देश के सम्पूर्ण युवाओं का विकास हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए हम आज एक्ट बना रहे हैं। उन्होंने साइंस एंड टेक्नौलॉजी के बारे में कहा कि हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो देश के नौजवानों को इसके लिए तैयार करना है। इसके लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इम्प्लीमैंटिंग एजैंसी बहुत कारगर और ठोस होनी चाहिए। यह हमारा सुझाव है।

आज लोग फजूल की बातें करते हैं। वंशवाद आदि की बातें की जाती हैं। हमारे लिए भी वंशवाद के बारे में कहा जाता है।...(व्यवधान) यह वंश कहां जाएगा। हमने देखा है कि इंदिराजी के बाद राजीव गांधी ने देश को बहुत ढंग से चलाया। भले ही हम उन दिनों क्रिटिक थे, आलोचना करते थे। हम विपक्ष में थे। लेकिन आज फिर इसी तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है। जो नेता, जो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती, वह देश में हेट्रेड का वातावरण पैदा करती है। हम सही बात बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि लालू यादव तारीफ कर रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him now. Nothing will go on record.

श्री लालू प्रसाद : इनके बेटे, बेटी कहां जाएंगे। आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बन गए हैं। जनता ने उन्हें कबूला है। इस देश में हार-जीत होती रहती है। लोग मेहनत करते हैं। अगर हिन्दुस्तान की राजनीति में हेट्रेड रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों को गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए।

खेल की बात की जा रही थी। हमारे बेटे तेजस्वी यादव ने इच्छा भी जाहिर नहीं की। लेकिन अखबारों में छप रहा था कि लालू यादव अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहा है। क्या हम बूढ़े हो गए हैं जो उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं? व्यक्ति मरते समय बोलता है कि उत्तराधिकारी बनाओ। वह बनेगा तो बनेगा।

मैडम सोनिया जी ने जीवन में जो ऑड्स देखे, जो सहा, इस देश में कोई राजनेता उसे नहीं सह सकता। ...(व्यवधान) क्या देश में हेट्रेड की राजनीति चलेगी? ऐसा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हार गई। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन जब कोई बात होगी तो बोला जाएगा वंशवाद, वंशवाद। हमें हेट्रेड की राजनीति से दूर रहना है। यूथ को देश की राजनीति की पहली पंक्ति में लाना है, हमारा आज का यही संकल्प होना चाहिए। ...(व्यवधान) यह पास हो गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, please do not disturb him.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आज शहादत का दिन है। इस देश के महान नेता, मैं जानता हूं कि वे कितने मृदुलभाषी थे, उनका कितना पीसफुल माइंड था, कितनी सोच, समझ थी। उनके गुणों की हम लोग प्रशंसा करते हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। उनकी सोच बहुत आगे थी। वे चाहते थे कि युवाओं को लाओ। युवाओं को ज्यादा आगे बढ़ाना है, इसलिए आज कानूनी ...(व्यवधान) आप लोग शांत रहिए। आज दिन ही ऐसा है, नहीं तो हम आप सब लोगों की बखिया उधेड़ देते। ...(व्यवधान) यह जो एक्ट बन रहा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इसमें कौन रहेगा, नहीं रहेगा, वह बात अलग है। लेकिन राजीव गांधी का सपना था कि नौजवानों को कबड्डी, कुश्ती, यानी खेल-कूद से लेकर सब जगह आगे लाना है।

सभापति महोदय, हम अपने दल की तरफ से इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): सभापति महोदय, आप हमें भी एक मिनट का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I have already called the hon. Minister.

...(*Interruptions*)

श्री अजय माकन: चार बजे से पहले हमें इस विषय को समाप्त करना है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you please start.

श्री अजय माकन : हमें चार बजे से पहले इस विषय को समाप्त करना है। अगर ऐसे होगा, तो यह नहीं हो पायेगा। आज के दिन की महत्ता है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please stop this. Please cooperate with the Chair.

श्री अजय माकन : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have to start at 4.00 p.m. another discussion.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the hon. Minister's reply.

*(Interruptions) â€¦**

श्री अजय माकन : आदरणीय सभापति महोदय, आज की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव सब लोगों की तरफ से आये हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦

श्री अजय माकन: आप मुझसे आकर मिलिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot make an exception. There are other Members also.

श्री अजय माकन : आप मेरे से अलग से मिलिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please stop cross-talk.

श्री अजय माकन : आप मुझसे अलग से मिलिए। मैं इस बारे में पूरी कोशिश करूंगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your colleague has already spoken. Please go to your seat.

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे मुझसे आकर मिलें। ...(व्यवधान) हमसे बात करें। हम इस संबंध में बात करेंगे। ...(व्यवधान) हम करेंगे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री अजय माकन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain the decorum. Please sit down now.

...(*Interruptions*)

श्री अजय माकन: आज जितने भी सदस्यों ने यहां पर समर्थन किया है। ...(व्यवधान) तमाम सदस्यों ने अपनी बात में इसका समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत एक युवाओं का देश है। हमारे यहां 120 करोड़ की आबादी में से 55 करोड़ लोग 13 से 35 वर्ष के बीच हैं। भारत आज दुनिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में इन्हीं युवाओं के बलबूते पर जाना जाता है। आज विश्व में जो अर्थशास्त्री या अलग-अलग विशेषज्ञ कह रहे हैं, आज से 25 वर्ष पूर्व भारत के ही एक ऐसे सपूत, दृष्टा ने इसके महत्व को समझ लिया और इस वर्ग को मानव संसाधन या ह्यूमन रिर्सोस की संज्ञा दी और इसके विकास एवं संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1985, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कर डाला। शायद भारत के यह दृष्टा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री सशक्त भारत के युवाओं को 21वीं शताब्दी में ले जाने का सुखद सपना देखने वाले श्री राजीव गांधी अपने कर्म एवं सोच में अपने समय से कहीं आगे थे। भारतीय युवाओं पर उनका अपार विश्वास था। पांच वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में, वर्ष 1988 में देश की प्रथम युवा नीति, मतदाता उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, नई शिक्षा नीति, पंचायती राज की परिकल्पना में युवाओं की जगह सुनिश्चित करना आदि अपने आप में अनेक दूरगामी प्रभाव वाले कार्यों में से कुछ हैं। दुर्भाग्यवश आज ही के दिन 21 वर्ष पूर्व 21 मई को यह दृष्टा युवाओं के सुनहरे सपनों की परिकल्पना करते-करते देश के सुदूर दक्षिण श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु में चिरनिद्रा में सो गए। इसी स्थान पर, जहां पर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थीं, उसी भूमि पर उनके सपनों को साकार करने हेतु इस विधेयक द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने की परिकल्पना पर हम लोग काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय मंत्री जी,...

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb the proceedings.

Nothing will go on record except the Minister.

*(Interruptions) â€¦**

श्री अजय माकन: महोदय, अनेक सुझाव हमारे पास बहुत सारी जगहों से आए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक बात यहां पर उठकर आई कि इसमें मात्र 200-200 स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा के छात्र होंगे, 50 शोध छात्र होंगे, तो किस प्रकार से यह देश के 55 करोड़ युवाओं के लिए कार्य कर पाएगा। राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था की जो परिकल्पना की गयी है, इसमें यह राजीव गांधी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक, एक चिंतन समूह की तरीके से काम करेगा। इसके अंदर डिस्टेंस एजुकेशन और देश के अलग-अलग भागों में कैम्पसेज होंगे। आज तक भारत में 39 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं जिनमें से 35 प्रौद्योगिकी की हैं, तीन मेडिकल चिकित्सा की हैं और एक लैंग्वेज की है। एक भी ऐसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं है जो भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन युवा और उनके विकास के बारे में कार्य करे। वह कमी यह संस्था आने वाले समय में पूरी करेगी। इसीलिए यह संस्था इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया है, इसमें चार डिवीजन्स, 9 सेंटर्स और 8 डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर आप डिपार्टमेंट्स को देखें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश के अलग-अलग युवाओं को यह टच करेगी, उनके लिए कार्य कर पाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फार सोशली एंड इकोनोमिकली डिसएडवांटेज्ड यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लाइवलीहुड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फार डिफ्रेंटली एबल्ड यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डाक्युमेंटेशन एंड पब्लिकेशन और ब्यूरो ऑफ यूथ स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस। इन सब चीजों में अलग-अलग विषयों में और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए यह कार्य कर पाएगा। उस जगह से भारत के सभी युवाओं के कार्य कर पाएगा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। मेंटोर ग्रुप की स्थापना हम लोगों ने पिछले वर्ष मार्च में की थी और मई, 2011 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो रोडमैप मेंटोर ग्रुप ने दिया है, आज जो बिल यहां पारित होगा, राज्य सभा में जाएगा, नोटिफिकेशन के छः माह के अंदर हम तमाम ईएफसी क्लियरेंसेज लेकर, उस रोडमैप पर इस इंस्टीट्यूट को चला देंगे और इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस संस्थान का यह होगा कि भारत की राष्ट्रीय युवा नीति को तैयार करना,। हमारी राष्ट्रीय युवा नीति राजीव गांधी जी ने सबसे पहले वर्ष 1988 में दी थी, उसके बाद वर्ष 2002 में जो युवा नीति हमारे पास आई, उसे दुबारा देखकर, उसे ठीक करके उन युवाओं के अनुरूप हमको बनाना है, जो आज उनकी अपेक्षाएं हैं।

16.00 hrs.

राष्ट्रीय युवा नीति के संदर्भ में इस संस्थान ने पहले से ही कई काम किए हैं। इसके लिए आठ टार्गेट ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये टार्गेट ग्रुप्स अलग-अलग भारत के युवाओं के लिए हैं, जैसे यूथ इन कंफ्लिक्ट जोंस, यूथ इन ट्राइबल एरिया, यूथ इन अर्बन पुअर, अर्बन यूथ, रूरल यूथ, इस तरीके से देश के अलग-अलग स्थानों पर रहने वालों के लिए आठ टार्गेट ग्रुप्स बनाए गए हैं और हरेक टार्गेट ग्रुप के तीन प्रायरटी ग्रुप्स बनाए गए हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please wait.

Hon. Members, at 4 o'clock, we are supposed to start the discussion under Rule 193. But if the House agrees, we could continue with this and pass the Bill. After this, we can take up the discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay, please continue.

श्री अजय माकन: इस प्रकार से यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए शीर्ष स्थान के रूप में काम करेगा। हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए और भारतीय युवाओं की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगा और एक राष्ट्रीय महत्व का महत्वपूर्ण संस्थान बनेगा।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 6 Objects of Institute

Amendment made:

Page 3, *for* lines 22 and 23, *substitute*––

"(*a*) to evolve and achieve an integrated approach to youth development for preparing and empowering the youth for the future, by––

(*i*) providing action oriented research inputs for policy formulation;

(*ii*) implementation of policy through extension and other programmes;

(*iii*) promoting assessment and impact study and conducting teaching, training and other academic programmes;

(*b*) to set up advanced National Youth Resource Centre commensurate with the international standards to provide for comprehensive and scientifically analysed data on all youth-related issues and matters, with adequate library facility, documentation and publication;". (3)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 Functions of Institute

Amendments made:

Page 3, line 34, *for* "**7**", *substitute* "**7.** (*1*)". (4)

Page 4, *for* lines 26 and 27, *substitute*––

"(*s*) set up distance learning or education centres, in collaboration with Open Universities, to provide access to the aspiring young professionals enabling them to take up a career in the field of youth development;

(*t*) establish, maintain and manage halls of residences and hostels for students;

(*u*) lay down conditions of service including a code of conduct for teachers and other categories of employees;

(*v*) supervise, control and regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(w) coordinate student exchange programmes with reputed International Youth Development Institutions;

(x) undertake, assist and promote all such activities conducive or incidental to the attainment of the objectives.

(2) The Institute may receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government and to receive bequests, donations and transfers of movable or immovable properties from the testators, donors or transferors, as the case may be.

(3) The Institute may enter into agreements with international organisations, institutions and universities to broaden the scope of the youth work and to facilitate knowledge development and participatory learning.". (5)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

Clause 12 Establishment of Executive Council

Amendment made:

Page 5, *omit* lines 25 and 26. (6)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

Clause 16 Academic Council

Amendment made:

Page 7*, for* lines 11 to 15, *substitute*––

"(*2*) The Academic Council shall consist of the following, namely:––

(a) Director-Chairman *ex officio*;

(b) one head of an academic institution of national importance to be nominated by the Chairperson;

(c) one Director from any of the Indian Institute of Technology or the Indian Institute of Management to be nominated by the Chairperson;

(d) Member in-charge of Youth Affairs in the Planning Commission of India *ex officio*;

(e) one person from any international non-Governmental organisation working in India in the field of youth work to be nominated by the Chairperson;

(f) two representatives from the non-governmental industrial sector to be nominated by the Chairperson;

(g) one Professor from the Institute, on rotation basis;

(h) Director of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, *ex officio*;

(i) two persons from non-Governmental organisations working in the field of youth and adolescent development out of whom one person shall be from the north-eastern region, to be nominated by the Chairperson;

(j) two students of the Institute out of whom one student shall be female;

(k) three eminent academicians from among the fields of Social Science, Health Science, Agricultural Science, Skill Development, Management and Law to be nominated by the Chairperson;

(l) one woman representative from the International Development Organisation to be nominated by the Chairperson;

(m) an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India dealing with the affairs of the Institute in the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, ex officio.

(3) The term of office of members of the Academic Council and its powers shall be such as may be provided by the Statutes.

(4) While nominating the members of the Academic Council due representation shall be given to women (by including at least four women), from different regions of the country, weaker sections of the community and differently abled persons.". (7)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 Finance Committee

Amendments made:

Page 7, *for* lines 23 and 24, *substitute*––

"(*2*) The Finance Committee shall consist of the following, namely:––

(a) Director - Presiding Officer of the Finance Committee;

(b) Joint Secretary and Financial Adviser in the Union Ministry of Youth Affairs and Sports;

(c) Registrar of the Institute;

(d) one Professor of the Institute on rotation basis, as may be nominated by the Chairperson;

(e) one Member from the Executive Council to be nominated by the Chairperson;

(f) Joint Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports dealing with the affairs of the Institute;

(g) the Finance Officer of the Institute –– Member-Secretary.

(*3*) The term of office of members of the Finance Committee and its powers shall be such as may be provided by the Statutes.". (8)

Page 7, line 25, *for* "(3)", *substitute* "(4)". (9)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

Clause 22 Director

Amendment made:

Page 8, *for* line 18, *substituteâ€"*

"(5) The Director shall submit annual report and audited accounts of the Institute to the Executive Council and the Central Government and the Central Government shall thereupon cause the same to be laid before each House of Parliament." (10)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 22, as amended, stand part of the Bill."

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clauses 23 to 46 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

Page 1, line 6, *for* "2011", *substitute* "2012". (2)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page1, line 1, *for* "Sixty-second", *substitute* "Sixty-third" (1)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI AJAY MAKEN: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.